

राजस्थान सरकार

विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक - प.1(6)न्याय/2019

जयपुर, दिनांक २३-१०-१९

-::अधिसूचना::-

राजस्थान सिविल न्यायालय अध्यादेश, 1950 (सन् 1950 का अध्यादेश संख्या-7) की धारा 7 की उपधारा (1) धारा 12 की उपधारा (1) एवं धारा 16 की उपधारा (1) तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 2) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान उच्च न्यायालय की सिफारिश पर, राज्य सरकार, निम्नलिखित सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय तुरन्त प्रभाव से सृजित एवं स्थापित करती है:-

क्र.सं	नवसृजित न्यायालय का नाम	जिला	बैठक का स्थान
1.	2	3	4
1.	सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, खेरलीमण्डी	अलवर	खेरलीमण्डी

नोट:- उक्त न्यायालय का स्थानीय क्षेत्राधिकार राजस्थान सिविल न्यायालय अध्यादेश, 1950 की धारा 10 (3) एवं 7(2) एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत जिला एवं सैशन न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

राज्यपाल के आदेश से

अ/ २३-१०-१९
(विनोद कुमार भारवानी)

प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल, राजस्थान सरकार।
- प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार।
- विशिष्ठ सहायक, माननीय विधि मंत्री, राजस्थान सरकार।
- मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
- रजिस्ट्रार (प्रशासन), राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बैंच, जयपुर।

7. शासन सचिव, विधि (राजकीय वादकरण) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
8. जिला कलक्टर/ जिला एवं सैशन न्यायाधीश/ पुलिस अधीक्षक, अलवर।
9. महानिदेशक, आरक्षी/ जेल, राजस्थान सरकार, जयपुर।
10. निदेशक, अभियोजन, शासन सचिवालय, जयपुर।
11. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
12. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, जयपुर को राजपत्र के विशेषांक में प्रकाशनार्थ।
13. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विधि विभाग की वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
14. रक्षित पत्रावली।



(मृदुसूदन शर्मा)

संयुक्त शासन सचिव